ग्रामीण विकास विभाग
बिहार सरकार

अन्दर के पृष्ठों में...

सतत् जीविकोपार्जन योजना से कंचन के जीवन में दिखाई दी उम्मीद की किरण
(पृष्ठ – 02)

बुरे वक्त में जीविका ने दिया सहारा, बसंती का जीवन संवारा
(पृष्ठ – 03)

सतत् जीविकोपार्जन योजना से सवंरती जिंदगियाँ
(पृष्ठ – 04)

सतत् जीविकोपार्जन योजना

एक नई राह

माह – जुलाई 2024 ।। अंक – 36

डिजिटल पद्धति के उपयोग से संभव हुआ योजना का प्रभावी क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण

सतत् जीविकोपार्जन योजना के तहत संचालित गतिविधियों के क्रियान्वयन तथा इसके अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु डिजिटल पद्धति का उपयोग पंचायत स्तर से लेकर राज्य स्तर तक किया जा रहा है। डिजिटल पद्धति के उपयोग से इस योजना के तहत लाभान्वित परिवारों द्वारा संचालित गतिविधियों की वास्तविक स्थिति के बारे में अद्यतन जानकारी ससमय प्राप्त होती है। साथ ही लाभार्थियों को उनके व्यवसाय के संचालन में सहयोग प्रदान करने वाले मास्टर संसाधन सेवियों (एम.आर.पी.) के कार्यों की निगरानी एवं अनुश्रवण करना भी सुविधाजनक हुआ है। इस योजना के अंतर्गत संचालित गतिविधियों एवं कार्यों की निगरानी के लिए मोबाइल एप, एस.जे.वाई–एम.आई.एस. (प्रबंधन सूचना प्रणाली) डैशबोर्ड एवं दीदी की आवाज डैशबोर्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है।

सतत् जीविकोपार्जन योजना के अंतर्गत रिर्पोटर फील्ड प्रो मोबाइल एप्प का उपयोग किया जा रहा है, इससे जमीनी स्तर पर लाभार्थी परिवारों द्वारा संचालित जीविकोपार्जन गतिविधियों से संबंधित सभी प्रकार की सूचनाओं, आंकड़ों एवं वास्तविक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करना आसान हुआ है। इस मोबाइल एप में मास्टर संसाधन सेवी (एम.आर.पी.) के द्वारा प्रतिदिन किए गए कार्यों से लेकर लाभार्थियों की व्यवसायिक गतिविधियों की जानकारी प्रविष्ट की जाती है। इससे राज्य, जिला एवं प्रखंड स्तर पर कार्यरत कर्मियों को सतत् जीविकोपार्जन योजना अंतर्गत कार्यरत एम.आर.पी. द्वारा किये जा रहे कार्यों एवं लाभार्थियों द्वारा संचालित व्यवसाय की वास्तविक स्थिति के बारे में त्वरित जानकारी मिल रही है। इस एप से प्राप्त सूचनाओं के माध्यम से नियमित रूप से मूल्यांकन एवं अनुश्रवण किया जाता है। इन कार्यों में किसी भी प्रकार की कमी पाए जाने पर उनमें अपेक्षित सुधार किया जाता है।

एम.आर.पी. द्वारा प्रत्येक सप्ताह दीदी द्वारा संचालित उद्यम का भ्रमण करते हुए साप्ताहिक खरीद–बिक्री का ब्योरा प्रविष्ट किया जाता है। इससे दीदी द्वारा संचालित व्यवसाय की वास्तविक स्थिति का पता चलता है। साथ ही साथ एम.आर.पी. द्वारा लाभार्थी दीदी के उद्यम का भ्रमण करने एवं उन्हें नियमित रूप से की जा रही मदद के बारे में भी जानकारी मिलती है। मासिक प्रगति को प्रत्येक माह में एक बार भरा जाता है। इसमें दीदी के व्यवसाय से प्राप्त लाभ–हानि, स्टॉक, परिसंपत्ति, सरकारी योजनाओं से जुड़ाव इत्यादि के बारे में जानकारी प्रविष्ट की जाती है। साथ हीं साथ डिजिटल पद्धति के अंतर्गत लाभार्थियों को प्रशिक्षण भी प्रदान किया जा रहा है जिससे उनकी क्षमता बढ़ रही है। प्रबन्धन सूचना प्रणाली के माध्यम से दीदियों के सफलताओं की कहानियों का भी संकलन किया जा रहा है।

सतत् जीविकोपार्जन योजना – प्रबंधन सूचना प्रणाली डैशबोर्ड के माध्यम से योजना के क्रियान्वयन की भौतिक एवं वित्तीय स्थिति का अनुश्रवण की जा रही है। इसके साथ ही मास्टर रिर्सोस पर्सन द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं एवं लाभार्थियों को दिए जाने वाले प्रशिक्षण की समीक्षा की जाती है।

दीदी की आवाज डैशबोर्ड के माध्यम से मास्टर रिर्सोस पर्सन द्वारा लाभूकों के उद्यमों का भ्रमण, मासिक प्रगति प्रतिवेदन तथा जिला, प्रखंड एवं संकुल संघ स्तर पर लाभार्थी परिवारों की रैकिंग की स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। बेहतर रैकिंग के लिए संकुल संघ अपने कार्यक्षेत्र में कार्यरत सभी एम.आर.पी. की समीक्षा करते हैं। डिजिटल पद्धति के उपयोग से एक ओर जहां एम. आर.पी. के कार्यों के अनुश्रवण से लाभुकों की व्यवसायिक गतिविधियों को बल मिल रहा है, वहीं कर्मियों को समय पर क्रियान्वयन से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त हो रही हैं।

सतत् जीविकोपार्जन योजना से कंचन के जीवन में दिखाई दी उम्मीद की किरण

कंचन देवी नवादा जिला के नारदीगंज प्रखंड अंतर्गत नारदीगंज पंचायत की निवासी है। वह दिव्यांग है। इनके तीन छोटे–छोटे बच्चे हैं। इनके पति पहले ताड़ी उत्पादन एवं बिक्री का कार्य करते थे। इससे होने वाली आय से ही उनके परिवार का भरण–पोषण होता था। लेकिन बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू होने के बाद इनका रोजगार बंद हो गया। आमदनी का अन्य साधन नहीं होने के कारण इनके लिए परिवार का भरण–पोषण करना बहुत मुश्किल हो गया था।

इस बीच जीविका का सहयोग मिलने से कंचन को उम्मीद की किरण दिखाई दी। शराबबंदी से प्रभावित होने की वजह से इन्हें जनवरी 2019 में सतत् जीविकोपार्जन योजना से जोड़ा गया। इसके बाद इन्हें प्रशिक्षित किया गया। तदुपरांत जीविकोपार्जन के साधन उपलब्ध कराने हेतु विशेष निवेश निधि के तहत 10,000 रुपये, जीविकोपार्जन निवेश निधि के तहत 20,000 रुपये की परिसंपति तथा जीविकोपार्जन अंतराल सहायता निधि के तहत 7 माह तक प्रति माह एक–एक हजार रुपये प्रदान किये गए। विशेष निवेश निधि की राशि से इन्होंने अपने घर में ही किराना दुकान के लिए काउंटर बनवाया। उसके बाद जीविकोपार्जन निवेश निधि की राशि से ग्राम संगठन द्वारा किराना दुकान के लिए सामग्रियाँ खरीदकर दी गईं। इस प्रकार योजना की मदद एवं ग्राम संगठन के सहयोग से कंचन देवी ने किराना व्यवसाय प्रारंभ किया। अब पति–पत्नी दोनों मिलकर दुकान चलाते हैं। मास्टर संसाधन सेवी (एम.आर.पी.) के निरंतर सहयोग एवं अपनी मेहनत से वह सफलतापूर्वक इस दुकान को आगे बढ़ा रही है। बेहतर तरीके से व्यवसाय का संचालन करने की वजह से इन्हें 27,000 रुपये जीविकोपार्जन निवेश निधि की द्वितीय किश्त की राशि उपलब्ध कराई गई है, इससे इन्होंने अपनी दुकान का विस्तार किया है।

सतत् जीविकोपार्जन योजना के सहयोग से कंचन देवी किराना दुकान का सफलतापूर्वक संचालन कर रही है। इससे उनके घर की आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है। अपनी आमदनी से इन्होंने एक सिलाई मशीन भी खरीदी है। इससे कपड़ों की सिलाई कर वह रोजाना कुछ पैसे कमा लेती है। अब उनके पास कुल 63,000 रुपये की परिसंपत्ति है। किराना दुकान एवं सिलाई से इन्हें प्रतिमाह करीब 6000 से 7000 रुपये की आय हो जाती है। दीदी अपने पति और दोनों बच्चों के साथ अब खुशहाल जीवन व्यतीत कर रही है।

बुरे दिन बीते, अब व्यतीत कर रही खुशहाल जीवन

मधेपुरा जिला के कुमारखंड प्रखंड अंतर्गत विशनपुर सुंदर पंचायत के पथराहा ग्राम की रहने वाली पीचो कुमारी का जीवन बेहद कठिनाइयों से गुजरा है। वह माल पहाड़िया जनजाति समुदाय से आती है। पीचो की शादी नेपाल के एक युवक से हुई थी। उनके पति एक बार कमाने के लिए घर से बाहर गये, लेकिन फिर कभी वापस नहीं आये। इससे पीचो का जीवन कष्टों से घिर गया। पति के नहीं रहने से ससुराल वाले लगातार उन्हें सताने लगे। इससे तंग आकर वह मायके अपने भाई के पास आ गई और यहीं मजदूरी करके अपना गुजारा करने लगी।

उनकी दयनीय स्थिति को देखते वर्ष 2019 में आकाश जीविका महिला ग्राम संगठन के द्वारा उनका चयन सतत् जीविकोपार्जन योजना के लाभार्थी के रुप में किया गया। योजना के तहत सूक्ष्म नियोजन के दौरान उन्होंने किराना दुकान खोलने की इच्छा जतायी। इसके बाद इन्हें विशेष निवेश निधि से 10,000 रुपये प्रदान किये गए, जिससे इन्होंने दुकान हेतु ढांचे का निर्माण कराया। वहीं जीविकोपार्जन निवेश निधि के अन्तर्गत 20,000 रुपये से ग्राम संगठन के द्वारा दुकान हेतु सामग्रियां खरीदकर दी गयी। शुरुआती दौर में उनके व्यवसाय की पूँजी पर कोई असर नहीं पड़े, इसके लिए जीविकोपार्जन अंतराल सहयोग निधि के तहत उन्हें सात माह तक एक–एक हजार रुपये प्रदान किये गए। सतत् जीविकोपार्जन योजना से जुड़ाव के बाद उनके जीवन में बदलाव आया है। दुकान के संचालन से उन्हें नियमित आमदनी होने लगी है। दुकान की कमाई से उन्होंने बकरी पालन का काम भी शुरू किया एवं एक सिलाई मशीन भी खरीदी है। वर्तमान में वह किराना दुकान, बकरी पालन एवं कपड़ों की सिलाई का काम करती है। इससे प्रतिमाह उन्हें तकरीबन 12,000 से 13,000 रुपये की आय हो जाती है। इस समय उनकी कुल परिसंपति 1,05,000 रुपये हो गई है। सतत् जीविकोपार्जन योजना से जुड़ने के बाद पीचो कुमारी के जीवन की कठिनाईयाँ कम हुई हैं। वह अब खुशहाल एवं आत्मनिर्भर बन कर जीवन व्यतीत कर रही है।

पटरी पर लौटी माला दीदी की गृहस्थी

माला देवी सिवान जिला के गोरियाकोठी प्रखंड अन्तर्गत जामो ग्राम की निवासी है। दीदी के पति गाँव में मजदूरी और खेती–बाड़ी करके अपने परिवार का भरण–पोषण करते थे। लकिन उन्हें शराब पीने की बुरी लत थी। अत्यधिक शराब पीने की वजह से एक दिन वह बीमार पड़ गए। इस स्थिति में घर चलाने और अपने पति का इलाज कराने के लिए माला खुद मजदूरी करने लगी। लेकिन इससे घर के खर्चों को पूरा करना मुश्किल हो रहा था। परिणामस्वरूप उनके घर की आर्थिक स्थिति दिनों–दिन खराब होती चली गई।

माला देवी की दयनीय स्थिति को देखते हुए वर्ष 2019 में ग्राम संगठन के द्वारा उनका चयन सतत् जीविकोपार्जन योजना अतंर्गत किया गया। माला दीदी की इच्छानुसार गाँव में ही फास्टफूड की दुकान के लिए उन्हें प्रशिक्षित किया गया। ग्राम संगठन के माध्यम से उन्हें जीविकोपार्जन निवेश निधि के तहत 20,000 रुपये की परिसंपति एवं विशेष निवेश निधि के तहत 10,000 रुपये प्रदान किए गए। इससे उन्होंने फास्टफूड की दुकान शुरू की। शुरुआती दौर में उनके व्यवसाय की पूँजी पर कोई असर नहीं पड़े, इसके लिए जीविकोपार्जन अंतराल सहयोग निधि के तहत उन्हें सात माह तक एक–एक हजार रुपये प्रदान किये गए।

योजना के तहत कार्यरत एम.आर.पी. के सहयोग से माला देवी दुकान चलाने लगी। धीरे–धीरे दुकान का कारोबार बढ़ने लगा, जिससे उन्हें अच्छी आमदनी होने लगी। इन्होंने दुकान की आय से अपने पति का अच्छी तरह इलाज कराया। उनके पति अब स्वस्थ हो गए हैं। जिससे वह भी दुकान चलाने में माला देवी की मदद करते हैं। इससे इनकी दुकान का कारोबार और बढ़ गया है। दुकान की आय से इन्होंने एक ठेला भी खरीदा है। इसके अलावा उन्होंने पास में ही एक मनिहारी दुकान भी खोल ली है। अब दुकान की कुल परिसम्पत्ति 1,76,192 रुपये हो गई है। वहीं इनकी मासिक आमदनी बढ़कर 16,000 रुपये प्रतिमाह से ज्यादा हो गयी है। इन्होंने अपने बैंक खाते में 49,900 रुपये जमा किये हैं। परिवार की आमदनी बढ़ने से उनका रहन–सहन भी बेहतर हुआ है।

बुरे वक्त में जीविका ने दिया सहारा, बसंती का जीवन संवारा

परिवार पर आई विपदा से बसंती देवी एकदम बेसहारा हो गई थी। ऐसी स्थिति में जीविका ने उन्हें सहारा देकर उनका जीवन संवारा है। बसंती देवी औरंगाबाद जिले के सदर प्रखंड स्थित ओरा पंचायत की रहने वाली है। इनके पति अजय राम दिल्ली में एक कंपनी में काम करते थे। इससे जो आमदनी होती थी, उससे उनके परिवार का पालन–पोषण होता था। पाँच वर्ष पहले एक दुर्घटना में उनके पति के पैर की हड्डी टूट गई थी। इसके बाद उन्हें वापस घर भेज दिया गया। यहाँ उनका इलाज करवाया गया, जिसमें एक लाख रुपये से ज्यादा खर्च हो गया था। इस घटना के बाद उनके पति की नौकरी चली गई। वहीं इलाज कराने के लिए उन्हें दूसरे से कर्ज लेना पड़ा। ऐसी स्थिति में परिवार की आर्थिक स्थिति काफी चरमरा गई। बसंती देवी के लिए खुद को संभालना और अपने बच्चों का सही ढंग से परवरिश करना बेहद चुनौती पूर्ण हो चुका था। लेकिन ऐसे वक्त में उन्हें सतत् जीवकोपार्जन योजना का सहारा मिला। बसंती देवी को 2 मार्च 2021 को सतत् जीविकोपार्जन योजना से जोड़ दिया गया। इसके बाद उनकी क्षमतावर्धन किया गया। उन्हें ग्राम संगठन के माध्यम से योजना के तहत कुल 37,000 रुपये की वितीय सहायता उपलब्ध कराई गई। इस राशि से उन्होंने एक किराना दुकान शुरू किया।

जीविका की मदद एवं अपनी मेहनत से वह अच्छी तरह दुकान चलाने लगी है। दुकान में प्रतिदिन लगभग एक हजार से पन्द्रह सौ रुपये तक की बिक्री हो जाती है। दुकान की आय से बसंती ने एक सिलाई मशीन भी खरीदी है। अब वह घर पर किराना दुकान के साथ–साथ कपड़ों की सिलाई का भी काम करती है। इससे बसंती देवी को प्रतिमाह 8 से 9 हजार रुपये तक की आमदनी हो जाती है।

बसंती देवी कहती है कि सतत् जीविकोपार्जन योजना की बदौलत वह आत्मनिर्भर बनी है। योजना ने बुरे वक्त में सहारा देकर उनके परिवार को संवारा है।

सतत् जीविकोपार्जन योजना से सवंरती जिंदगियाँ

सतत् जीविकोपार्जन योजना ने बेहद दयनीय स्थिति में जीवन–यापन करने वाले हजारों परिवारों को सहारा देकर उनके जीवन में खुशहाली लाई है। कटिहार जिला के हसनगंज प्रखंड की रुकसाना खातून की शादी कटिहार सदर प्रखंड अन्तर्गत तेजा टोला गांव में रहने वाले मोहम्मद तौहीद के साथ हुई थी। रुकसाना खातून के पति मजदूरी कर अपने परिवार का भरण–पोषण करते थे। शादी के करीब डेढ़ साल बाद उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। शादी के लगभग तीन साल बाद ही एक दुर्घटना में इनके पति की मृत्यु हो गई। पति के अचानक गुजर जाने से रुकसाना के जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। परिवार वालों ने भी इन्हें सहारा नहीं दिया। लिहाजा घरेलू खर्च को लेकर सास–ससुर के साथ अक्सर लड़ाई– झगड़ा होने लगा था। आखिरकार एक दिन परिवार वालों ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। इसके बाद रुकसाना बच्चे को लेकर अपने मायके आ गई। इनके पिता भी मजदूरी करके ही अपना परिवार चलाते थे। इसी बीच इनके पिता की तबीयत खराब रहने लगी। इससे वह काम पर नहीं जा पाते थे। ऐसे में रुकसाना स्वयं मजदूरी करने लगी, जिससे परिवार का भरण–पोषण कर सके।

रुकसाना की दयनीय स्थिति को देखते हुए दिशा जीविका महिला ग्राम संगठन ने वर्ष 2021 में इनका चयन सतत् जीविकोपार्जन योजना अतंर्गत किया। चयन के उपरांत इनका क्षमतावर्धन किया गया एवं व्यवसाय संचालन हेतु प्रशिक्षण दिया गया। उन्हें जीविकोपार्जन गतिविधियों के संचालन करने, पैसे का सदुपयोग करने, आय–व्यय का लेखा–जोखा रखने आदि के बारे में सिखाया गया। प्रशिक्षण के उपरांत इन्होंने किराना दुकान शुरू करने की इच्छा जतायी। तदुपरांत 10 अक्टूबर 2021 को ग्राम संगठन के माध्यम से योजना के तहत जीविकोपार्जन निवेश निधि के 20,000 रुपये एवं विशेष निवेश निधि से 10,000 रुपये प्रदान किये गए। इससे इन्होंने किराना दुकान प्रारंभ किया। इसके अलावा दीदी को एक–एक हजार रुपए प्रतिमाह सात महीने तक घरेलू खर्च हेतु दिया गया। वह पूरे मन से अपनी दुकान चलाने लगी। दिनों–दिन दुकान से उनकी आमदनी बढ़ने लगी। दुकान में प्रतिदिन हजार से बारह सौ रुपये की बिक्री हो जाती है। इससे उन्हें प्रतिदिन 200 से 250 रुपये तक की कमाई हो जाती है। दुकान की आय एवं योजना के सहयोग से इन्होंने एक गाय भी खरीदी है। इस प्रकार गाय का दूध बेचकर भी वह प्रति माह औसतन 3000 रुपये से अधिक की कमाई कर लेती है। इन्होंने किराना दुकान एवं गाय पालन अपनाकर अपने घर की आमदनी बढ़ाई है।

इस आय से वह न केवल अपने परिवार का पालन–पोषण कर रही है बल्कि कुछ पैसे बचत करके भी रखती है। बैंक में इनका अपना बचत खाता है, जिसमें बचत के पैसे जमा करती है। जीविका के सहयोग से वह अपने घर के पीछे पोषण बगीचा लगायी है, जिससे घर में खाने योग्य सब्जियाँ पैदा हो जाती है। सरकार की योजना का लाभ उठाकर इन्होंने अपने घर में शौचालय बनावाया है। अब उन्हें रोजी–रोटी के लिए घर से बाहर नहीं जाना पड़ता है। रोजगार के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ता है। आज वह अपना रोजगार चलाकर अपने परिवार का अच्छी तरह गुजारा कर रही है। सतत् जीविकोपार्जन योजना से जुड़ने के बाद जीविका के सहयोग से इन्हें राशन, पेंशन, बीमा, आवास सहित कई कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त हुआ है।

रुकसाना खातून कहती हैं, ''शुरुआत में दुकान चलाना मुश्किल लग रहा था, लेकिन मास्टर संसाधन सेवी (एम. आर.पी.) दीदी के सहयोग से अब मैं इस काम में दक्ष हो गई हूँ। दुकान से जुड़ी अधिकांश जिम्मेदारियाँ मैं खुद ही संभालती हूँ, इससे मेरा आत्मविश्वास बढ़ा है। अब मैं आत्मनिर्भर बन गयी हूँ।''

परिसंपत्ति, बचत एवं आय का विवरण	
दुकान की कुल परिसंपत्ति	58,650 रुपये
पशुधन की कुल परिसंपत्ति	1,80,000 रुपये
बचत खाते में जमा राशि	24,800 रुपये
दुकान से औसत मासिक आमदनी	5,630 रुपये
पशुपालन से औसत मासिक आमदनी	3,250 रुपये
कुल औसत मासिक आमदनी	8,880 रुपये

जीविका, बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति, विद्युत भवन – 2, बेली रोड, पटना – 800021, वेबसाइट : www.brlps.in

संपादकीय टीम
- श्रीमती महुआ राय चौधरी – कार्यक्रम समन्वयक (जी.के.एम.)
- श्री पवन कुमार प्रियदर्शी – परियोजना प्रबंधक (संचार)

संकलन टीम
- श्री विकास राव – प्रबंधक संचार, भागलपुर
- श्री राजीव रंजन – प्रबंधक संचार, नवादा
- श्री रौशन कुमार – प्रबंधक संचार, लखीसराय
- श्री बिप्लब सरकार – प्रबंधक संचार